

**विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 23 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त**

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की बत्तीसवीं (32वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 23 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 560 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 286 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। इन एसईजेड में 101906.21 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा कुल 3,66,333 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। 2007-08 के दौरान 66,638 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया है जो 2006-07 की तुलना में 92 प्रतिशत अधिक है। दिसंबर 2008 तक 67,000 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया है।

**मद संख्या 1 : मैसर्स एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड से संबंधित लंबित प्रस्ताव**

चर्चा शुरू करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित अपनी बैठक में ईजीओएम ने एस्सार एसईजेड को अधिसूचित करने के लिए वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया कि मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड एंड मैसर्स एस्सार के मामलों को अपवाद के रूप में लिया जाएगा और यह कि एसईजेड के अन्य प्रस्तावों के लिए भूमि के खाली होने की शर्त पर जोर दिया जाएगा जिसका स्पष्ट रूप से अभिप्राय यह होना चाहिए कि एसईजेड के अनुमोदन के लिए विकासक द्वारा आवेदन के समय अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्र में किसी क्रियाशील पोर्ट, विनिर्माण यूनिट, औद्योगिक गतिविधियों या संरचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अतः यह देखा जा सकता है कि एस्सार एसईजेड और मुंद्रा पोर्ट एसईजेड अपवाद हैं, जिन्हें ईजीओएम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है।

ईजीओएम के निर्णय के बाद विकास आयुक्त, केएसईजेड से (1) एसईजेड में क्षेत्र की वृद्धि / कटौती (2) बेल्ट कनवेयर सिस्टम (3) एसईजेड के लिए अनेक प्रवेश द्वार के मुद्दों का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

**(क) एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती**

तदनुसार विकास आयुक्त ने सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि (1) वृद्धि / कटौती के संबंध में कुछ क्षेत्र जिनको हटाने की सिफारिश की गई है, में कुछ यूटिलिटी सुविधा अनुरक्षण सुविधा, भंडारण सुविधा है जो एसईजेड की परिधि में हैं तथा एस्सार स्टील लिमिटेड की मौजूदा डीटीए यूनिट का उन पर स्वामित्व है और प्रयुक्त किया जा रहा है। इन मौजूदा यूटिलिटीज के सर्वे नंबर एसईजेड क्षेत्र के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसलिए, ऐसे सर्वे नंबर के तहत शामिल उपर्युक्त

क्षेत्रों को एसईजेड क्षेत्र से हटाने की आवश्यकता है। वायर मेश फेंसिंग द्वारा एसईजेड से इन क्षेत्रों को अलग किया गया है। हटाने के लिए क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं :

- 1) 29.9590 हेक्टेयर का क्षेत्रफल जिसे पूर्णतः हटाने की आवश्यकता है। सर्वे नंबर 10, 12, 18, 21, 26, 29, 37, 40, 41, 48 से 51, 53 से 58, 64, 69 से 72, 75, 76, 78, 80, 82 से 89, 108 से 110 और 198 पर सूचीबद्ध क्रमांक पर इन सर्वे नंबर को एसईजेड की मूल अधिसूचना में शामिल किया गया है।
- 2) 9.0717 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को आंशिक रूप से हटाने की आवश्यकता है। इन सर्वे नंबर के तहत शामिल क्षेत्र डीटीए तथा एसईजेड के अंदर क्षेत्रों के बीच ओवरलैप कर रहे हैं। एसईजेड की मूल अधिसूचना दिनांक 28 सितंबर 2006 के सर्वे नंबर 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 39, 43, 47, 52, 63, 65, 66, 77, 79, 81, 111, 126, 133, 134, 135 और 136 पर सूचीबद्ध क्रमांक में ये सर्वे नंबर शामिल किए गए हैं।
- 3) क्रमांक 105 और 104 पर प्रदर्शित सर्वे नंबर 196/1 और 106/3 में 1.1231 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को पूर्णतः हटाने का अनुरोध किया जाता है। विकासक ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त 2008 के माध्यम से बताया है कि डीटीए में आ रही उनकी पाइप मिल परियोजना के लिए उनके द्वारा इस क्षेत्र की आवश्यकता है।
- 4) जहां तक वृद्धि का संबंध है, विकासक द्वारा 17.7961 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए अनुरोध किया गया है। विकासक द्वारा भूमि के अग्रतर अतिरिक्त अधिग्रहण के कारण इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 17.7961 हेक्टेयर का क्षेत्रफल वर्तमान अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से संस्पर्शी है और मामलातदार ने इस भूमि पर कब्जा की पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया है। भूमि मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड के कब्जे में है जिसे 20 साल की अवधि के लिए विकासक को पट्टा पर दिया गया है / पट्टा पर देने का प्रस्ताव है। विकासक द्वारा आवेदन के समय यह क्षेत्र खाली पड़ा था। विकासक ने अपने पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2008 के माध्यम से बताया है कि 5.6656 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों को सूरत हजीरा रोड के दूसरी ओर ब्लास्ट फर्नेस एरिया से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, इस समय ब्लास्ट फर्नेस एरिया के लिए सन्निकटता के अभाव के कारण ब्लास्ट फर्नेस एरिया को शामिल करने के अनुरोधों को विकासक द्वारा वापस ले लिया गया है। तदनुसार, 10.9974 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए अनुरोध किया गया है।
- 5) कुछ मुद्दे हैं जो टंकण एवं विविध सुधार की मांग करते हैं जो इस प्रकार हैं :

| अधिसूचना<br>क्रमांक | का | सर्वे नंबर | अधिसूचना<br>के अनुसार<br>क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | संशोधित<br>किया<br>जाने वाला<br>क्षेत्रफल |
|---------------------|----|------------|--|---|
| 100                 |    | 192/1/1    | 0.6961   | 0.6981                                    |
| 103                 |    | 192/3      | 1.0626   | 1.0826                                    |
| 207                 |    | 235/बी     | 0.2538   | 2.0538                                    |

|  |      |        |        |
|--|------|--------|--------|
|  | जोड़ | 2.0125 | 3.8345 |
|--|------|--------|--------|

ये सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि उपर्युक्त कालम 4 में दर्शाए गए क्षेत्र अधिसूचना जारी करने के समय प्रस्तुत किए गए राजस्व प्राधिकारियों के प्रमाण पत्र के अनुसार हैं तथा बाद में अधिसूचित क्षेत्र से सर्वे नंबरों का मिलान करने पर उपर्युक्त अंतर पाए गए। उपर्युक्त सुधारों से क्षेत्रफल में 1.822 हेक्टेयर की वृद्धि होगी। तथापि, मूल अधिसूचना में कुल क्षेत्रफल 247.522 हेक्टेयर था, जबकि सही गणितीय जोड़ 245.7602 हेक्टेयर बनता है। इसलिए, 1.7620 हेक्टेयर का अंतर है जिसे अधिसूचना से घटाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त वृद्धि / कटौती पर विचार करने के बाद शामिल करने के लिए निवल क्षेत्रफल 0.06 हेक्टेयर (1.822 हेक्टेयर - 1.762 हेक्टेयर) है।

वृद्धि / कटौती तथा टंकण के सुधारों का सारांश इस प्रकार है :

| क्र. सं. | विवरण  | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|----------|--|--------------------------|
| 1.       | एसईजेड की मूल अधिसूचना में शामिल क्षेत्रफल               | 247.5222                 |
| 2.       | क्षेत्रफल जिसे हटाने का अनुरोध किया गया है               | 40.1538                  |
| 3.       | क्षेत्रफल जिसे शामिल करने का अनुरोध किया गया है          | 10.9974                  |
|          | (क) अतिरिक्त अधिग्रहण                                    |                          |
|          | (ख)  | 0.0600                   |
| 4.       | प्रस्तावित वृद्धि / कटौती के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल | 218.4258                 |

चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि वे क्षेत्रफल में किसी कटौती के पक्ष में नहीं हैं। यह उनके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के कारण है जिसमें विकासक ने हालांकि दावा किया है कि उन्होंने इयूटी का भुगतान किया है परंतु आयतित उपकरण पर इयूटी से संबंधित मुद्दे अभी भी हैं। इसके अलावा, कानूनी समस्याएं हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि किस योजना के अंतर्गत उन्होंने छूटों का दावा किया है और किस योजना के अंतर्गत उन्होंने इयूटी का भुगतान किया है। एसईजेड तथा सीमा शुल्क अधिनियम दोनों के दृष्टिकोण से इयूटी के पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। उनकी समझ के अनुसार एसईजेड की स्थापना कृत्रिम निरूपण है क्योंकि विकासक भुगतान न की गई इयूटी के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है और छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिसूचना से पूर्व विकासक द्वारा जो भी उपकरण लाया गया है उसके संबंध में इयूटी का भुगतान करना होगा और अधिसूचना जारी होने के बाद छूटों का खेल शुरू होता है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि हटाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र अलग और डीटीए क्षेत्र में है तथा अधिसूचना के समय उसकी फेंसिंग हो चुकी है। इस क्षेत्र में यूटिलिटीज अस्तित्व में थीं तथा किसी इयूटी लाभ का दावा नहीं किया गया है। जब डीडीसी ने सर्वेक्षण किया तब ऐसा हुआ कि डीटीए क्षेत्र और एसईजेड क्षेत्र के लिए सर्वे नंबर समान थे।

अनुमोदन बोर्ड ने राय व्यक्त की कि ईजीओएम द्वारा संपूर्ण मामले पर विचार किया गया है तथा मुद्दे का निस्तारण हो गया है। विकासक द्वारा गलत ढंग से किए गए दावे के मामले में सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क की वापसी के अधीन वृद्धि / कटौती / सुधार के लिए मंजूरी प्रदान की जा रही है। इस प्रयोजनार्थ विकास आयुक्त केएएसईजेड और सीमा शुल्क प्राधिकारी संयुक्त रूप से मुद्दों की जांच करेंगे तथा विकासक द्वारा निस्तारण के लिए समुचित मूल्यांकन करेंगे। वृद्धि / कटौती से पहले और इसके बाद एसईजेड के मैप की प्रति अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। इन टिप्पणियों के साथ अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त वृद्धि / कटौती के लिए मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 218.4258 हेक्टेयर हो जाएगा।

#### **(ख)बेल्ट कनवेयर सिस्टम**

जिस बेल्ट कनवेयर सिस्टम के लिए अनुरोध किया गया है वह एसईजेड यूनिट से समीपवर्ती डीटीए यूनिट को हॉट ब्रीकेट आयरन (एचबीआई) के परिवहन के लिए है। डीटीए यूनिट को एचबीआई का ट्रांसफर एक एसईजेड यूनिट अर्थात मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड की उत्पादन प्रक्रिया के उप ठेका के लिए एचबीआई के मूवमेंट के लिए भी होगा। डीटीए को इस प्रकार ट्रांसफर की गई मात्रा का फिर प्रसंस्करण किया जाएगा और स्वयं डीटीए यूनिट से निर्यात किया जाएगा। बेल्ट कनवेयर सिस्टम का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित कारण प्रदान किए गए हैं :

- (क) एसईजेड यूनिट की दैनिक उत्पादन क्षमता लगभग 4500 मीट्रिक टन है जिसमें से 2500 मीट्रिक टन एचबीआई का ट्रांसफर कनवेयर सिस्टम के माध्यम से होगा। इस समय डंपर / ट्रक के माध्यम से एचबीआई का मूवमेंट होता है और प्रतिदिन 2500 मीट्रिक टन के मूवमेंट के लिए डंपर / ट्रक के 100 ट्रिप लगते हैं जो न केवल सुरक्षा संकट है अपितु कठिन लाजिस्टिक प्रचालन भी है।
- (ख) इस समय डीटीए यूनिट में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में एचबीआई के 150 मीट्रिक टन का बैच लिया जा रहा है। बेहतर बैच मिक्स के लिए तथा उत्पादन की क्षति से बचने के लिए सामग्री को निरंतर फीड करने की आवश्यकता है।
- (ग) कनवेयर सिस्टम के माध्यम से एचबीआई की सीधे फीडिंग से ट्रकिंग, डंपिंग तथा रीक्लेमिंग और फर्नेस में एचबीआई की रीफीडिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

- (घ) कनवेयर के माध्यम से सामग्री को ट्रांसफर करने के लिए प्रचालन की लागत डंपर / ट्रक के माध्यम से सामग्री के मूवमेंट की लागत की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम है।
- (ङ) विकासक ने कनवेयर सिस्टम में एक लोड सेल पेइंग तंत्र इंस्टाल किया है जो डिजिटल रूप में ट्रांसफर की गई सामग्री के तौल में मदद करता है और कस्टम को तौल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा, कनवेयर पर किए गए तौल के लिए प्रति संदर्भ उपलब्ध है तथा साइलो लेवल पर तथा बिन लेवल इंडीकेटर सिस्टम के साथ किया जा सकता है। सामग्रियां केवल साइलो के माध्यम से कनवेयर में ट्रांसफर की जाएंगी तथा कनवेयर सिस्टम के अचानक बंद हो जाने या ब्रेकडाउन की स्थिति में ट्रांसफर किए गए वजन का संदर्भ साइलो लेवल पर अथवा उत्पादन स्तर पर तुला पर प्राप्त किया जा सकता है।
- (च) कनवेयर एकल बिमीय अप्रतिसंहार्य प्रकार का सिस्टम है और इसलिए सामग्री का रिवर्स फलो संभव नहीं है। कनवेयर से जुड़ी कोई शाखा नहीं है और सभी सामग्री केवल सिंगल आउटलेट के माध्यम से छोड़ी जा सकती है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने कहा कि जोन के सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ परामर्श तथा प्रणाली के सत्यापन के बाद निम्नलिखित सुरक्षोपाय अपनाए जा सकते हैं :

- (i) सीमा शुल्क के अधिकारियों की उपस्थिति में तौल एवं मापन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोड सेल का अंशांकन एवं आवधिक प्रमाणन किया जा सकता है।
- (ii) जोन के कस्टम कार्यालय में ट्रांसफर किए गए माल के वजन को दर्शाने वाले लोड सेल की रीडिंग दर्शाते हुए रीमोट अक्सेस का भी प्रावधान किया जाएगा। डीटीए बिक्री के लिए कनवेयर के माध्यम से माल के मूवमेंट को यूनिट द्वारा इयूटी के भुगतान के बाद ही अनुमत किया जाएगा।
- (iii) लोड सेल के किसी ब्रेकडाउन की स्थिति में ट्रांसफर की गई मात्रा के सत्यापन एवं मूल्यांकन के लिए साइलो पर रीडिंग की वैकल्पिक तौल उपलब्ध होगी।
- (iv) विकासक ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने कनवेयर बेल्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए कोई इयूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

इसके बाद हुई चर्चा में सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि ने दोहराया कि एस्सार द्वारा प्रचालित स्टील मिल की संपूर्ण सुविधा एकीकृत सुविधा है तथा उसे कृत्रिम आधार पर एसईजेड / डीटीए में विभाजित करने का अनुरोध किया गया है। सार्वभौमिक तौर पर कनवेयर बेल्ट सिस्टम कैप्टिव उपभोग के प्रयोजनार्थ एकीकृत स्टील प्लांट के लिए है, जबकि वर्तमान मामले में इसे गैर कैप्टिव के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से पूछताछ पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने बताया कि डीटीए यूनिट को बिक्री केवल कागज पर है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि एसईजेड गेट पर प्रत्येक कंसाइनमेंट के लिए बिक्री के रूप में बिल तैयार किया जाता है। इस समय भी ट्रक के माध्यम से ट्रांसफर की गई सभी सामग्री के लिए प्रत्येक ट्रक के लिए बिलिंग की जाती है। अतः कनवेयर के प्रयोग से केवल परिवहन के माध्यम में परिवर्तन होगा तथा परिवहन किए गए माल के मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने बताया कि जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए एसईजेड नियमावली के नियम 41 और 42 के अंतर्गत माल का मूवमेंट होता है। उनके अनुमान के अनुसार, उप संविदा को निर्यात बाध्यता में शामिल किया जाएगा। विकासक के प्रतिनिधि, जिसे बुलाया गया, ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किया :

- (क) अंशांकन सहित कनवेयर बेल्ट सिस्टम का तीन माह में एक बार स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो कि तौल सही है;
- (ख) निकास बिंदु पर कनवेयर बेल्ट में कोई डाइवर्जन नहीं है, यह सामग्री के पलटाव के लिए किसी प्रावधान के बगैर एक बिमीय है; सामग्री एसईजेड यूनिट से डीटीए में पहुंचेगी;
- (ग) एसईजेड यूनिट अनिवार्य रूप से आपूर्ति की दो विधियों का अनुसरण कर रही है - ड्यूटी के भुगतान के विरुद्ध या डीटीए के अग्रिम लाइसेंस के विरुद्ध। अग्रिम लाइसेंस के विरुद्ध सप्लाई को एनएफई के रूप में लिया जाता है। यूनिट ने एसईजेड नियमावली के नियम 41 और 42 के अंतर्गत पिछले साल कुछ उप ठेका दिया था। तथापि, इस मामले में एसईजेड यूनिट ने सीधे निर्यात किया।

सीमा शुल्क के प्राधिकारियों ने बताया कि वे ट्रक के माध्यम से मूवमेंट की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में हैं क्योंकि इनकी निगरानी करना अधिक सरल है। कनवेयर सिस्टम में ध्यान से निगरानी करना संभव नहीं है और तदनुसार लीकेज की संभावनाएं हैं। हर हाल में वे राजस्व विभाग में समुचित परामर्श के बाद अधिक विस्तृत प्रस्ताव के साथ वापस आना पसंद करेंगे।

चर्चा, विकासक द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों तथा विकास आयुक्त की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने तौल के तीसरे पक्ष में द्वारा सत्यापन और अग्रिम लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से एनएफई प्राप्त करने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की शर्त के अधीन कनवेयर बेल्ट सिस्टम के प्रचालन को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। **अपेक्षित होने पर राजस्व विभाग अतिरिक्त सुरक्षोपायों के साथ आ सकता है जिन्हें अनुमोदन में शामिल किया जा सकता है।**

#### **(ग) एसईजेड में प्रवेश के लिए अनेक फाटक**

विकासक ने अनेक फाटकों के लिए अनुरोध किया है। इस समय तीन फाटक हैं अर्थात :

- (क) एसईजेड का मुख्य फाटक - यह विभिन्न माल जैसे कि पूंजी माल, स्पेयर, ठेकेदार की सामग्री के प्रवेश एवं निकास तथा एसईजेड से संबद्ध व्यक्तियों के मूवमेंट के लिए अक्सेस प्रदान करता है। फाटक पर एसईजेड के अधिकारियों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक पूर्ण विकसित कार्यालय स्थापित किया गया है। इस कार्यालय में दूसरे फाटकों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का अक्सेस भी प्रदान किया गया है।

- (ख) इंटर-कार्टिंग गेट - इसे जेट्टी और एसईजेड से माल के मूवमेंट के विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है। यह गेट केवल जेट्टी से एसईजेड क्षेत्र में थोक सामग्री / परियोजना कार्गो के मूवमेंट के लिए होगा।
- (ग) उत्पाद फाटक - इस फाटक को एसईजेड से डीटीए में हॉट डीआरआई के विशिष्ट वाहन में पहुंचाने के प्रयोजनार्थ खोलने की अनुमति दी जाती है जो 700-800 सेल्सियस डिग्री के तापमान पर उक्त उत्पाद के भंडारण एवं परिवहन के लिए तैयार किया गया है। अतः मूवमेंट केवल एसईजेड से डीटीए में होगा। इस समय हॉट डीआरआई लागू कस्टम ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए यूनिट को सौंपी जाती है।

सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि यदि अनेक गेट लगाए जाते हैं तो निगरानी करने में कठिनाई होगी। फाटकों की संख्या न्यूनतम रखना उपयुक्त होगा।

तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने दो गेट के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया - एक इंटर कार्टिंग और डीआरआई के परिवहन के लिए और दूसरा गेट कार्मिकों तथा अन्य वस्तुओं की आवाजाही के लिए।

## **मद संख्या 2 : मुंद्रा एसईजेड से संबंधित लंबित प्रस्ताव**

अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम के निर्णय को नोट किया जो इस प्रकार है :

"इस मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि खाली क्षेत्रों, जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख को मौजूद थे, को छोड़कर पोर्ट के निर्मित क्षेत्र को वाणिज्य विभाग द्वारा निरूपित किया जाएगा और यह किसी अतिरिक्त निवेश पर वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष कर लाभों के लिए हकदार नहीं होगा। एसईजेड में शेष क्षेत्र के साथ पोर्ट का शेष क्षेत्र एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत ग्राह्य सभी ड्यूटी तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लाभों के लिए हकदार होगा। राजस्व विभाग द्वारा पोर्ट के कस्टम प्रचालन को हैंडल करने का कार्य जारी रहेगा। उपर्युक्त के अधीन मौजूदा अधिसूचना प्रभावी बनी रहेगी। वाणिज्य विभाग उपर्युक्त परिवर्तनों को शामिल करते हुए मुंद्रा एसईजेड के लिए अनुमोदन आदेश में उपयुक्त संशोधन जारी करेगा।"

ईजीओएम के निर्णय के अनुसरण में विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड से क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा तीन एसईजेड को मिलाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड ने (क) ऐसे क्षेत्र का निरूपण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जो किसी अतिरिक्त निवेश पर वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लाभ का हकदार नहीं होगा। (ख) विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत भूमि के अधिसूचित सर्वे नंबर की सूची (ग) विभिन्न एसईजेड के

अंतर्गत सह विकासकों एवं अधिकृत प्रचालनों का ब्यौरा। एसईजेड के विलय के बाद स्थिति को दर्शाने वाले रंगीन मैप की प्रति के साथ रिपोर्ट कार्यवृत्त के साथ संलग्न हैं (अनुबंध 3)। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि ईजीओएम के निर्णय के अनुसरण में क्षेत्र का निरूपण करने वाले आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया :

- (i) तीन एसईजेड का विलय करते हुए सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करना - अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि मौजूदा मुंद्रा एसईजेड 1 और मुंद्रा एसईजेड 2 के बीच एक सड़क है जो मुंद्रा गांव को पुराने मुंद्रा पोर्ट से जोड़ती है। सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि दो एसईजेड के बीच फ्लाईओवर का निर्माण करके अनुमोदन बोर्ड सन्निकटता स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करे। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने मौजूदा सार्वजनिक सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने के अधीन मौजूदा तीन एसईजेड के विलय की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की। तथापि, सन्निकटता स्थापित होने तक 2 एसईजेड के बीच मूवमेंट प्रतिबंधित होगा तथा वर्तमान सिस्टम जारी रहेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी :
- (i) विकासक समर्पित सिक्योरिटी गेट / ओवरब्रिज / अंडरपास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा और इसके द्वारा सुनिश्चित करेगा कि इन आम रास्तों से एसईजेड में कोई अनधिकृत प्रवेश संभव न हो और संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सड़क के दोनों ओर 2.4 मीटर ऊंची वाल / चैन लिंक फेंसिंग तथा 0.6 मीटर कटीले तार की फेंसिंग के साथ फेंसिंग भी करेगा।
- (ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- (iii) संबंधित प्राधिकरणों जैसे कि एनएचएआई तथा अन्य द्वारा वाणिज्य विभाग को औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।
- (iv) एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि : अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने विलयित एसईजेड में 258 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है। प्रधान सचिव, गुजरात सरकार ने बताया कि यह अतिरिक्त भूमि अभी तक उनके कब्जे में नहीं है क्योंकि गुजरात सरकार ने विकासक को यह भूमि सौंपने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विलयित रूप में विकासक के कब्जे में मौजूद भूमि अधिसूचित की जाएगी। जब गुजरात सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंप दिया जाएगा तथा यह एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत सन्निकटता की शर्त सहित आवश्यकताओं को पूरी करेगी तो अधिसूचना के लिए उस पर विचार किया जा सकता है।



- (v) मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए : अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स अडानी पावर अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता 2460 मेगावाट से बढ़ाकर 5040 मेगावाट करना चाहता है। गुजरात सरकार के प्रधान सचिव ने कहा कि गुजरात सरकार की विद्युत उत्पादन नीति के अनुसार ऊर्जा विभाग ने 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए मैसर्स अडानी पावर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुमान अगले 10 वर्षों में विद्युत की आवश्यकता पर आधारित है। जिन प्रमुख बातों को ध्यान में रखा गया उनमें से एक विकासक के पास उपलब्ध क्षेत्रफल है। अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि विद्युत का वर्तमान उपयोग बहुत कम है और बेहतर होगा कि विकासक विद्युत उपयोग के लिए स्पष्ट योजना के साथ वापस आए जिसके आधार पर अनुमोदन बोर्ड निर्णय ले सकता है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया।
- (vi) प्रवेश / निकास के अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुमोदन : अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया तथा विलयित एसईजेड के आकार को ध्यान में रखते हुए मौजूदा फाटकों सहित 6 फाटकों की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। सीमा शुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से विकास आयुक्त द्वारा फाटकों के पोजीशन के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

#### **मुंद्रा एसईजेड में सह विकासकों के लंबित प्रस्ताव :**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की यह राय थी कि अतीत में अनुमोदन बोर्ड ने तीन एसईजेड में से प्रत्येक के लिए सामाजिक अवसंरचना की सुविधाओं के लिए मंजूरी प्रदान की है तथा यह आवश्यक होगा कि जो अनुमत किया है उसका जायजा लिया जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि अब जिन अवसंरचना सुविधाओं के लिए अनुरोध किया गया है वे सम्मिलित एसईजेड की आवश्यकताओं की दृष्टि से उचित हो सकती हैं या नहीं।

पहले अनुमोदित की जा चुकी सामाजिक अवसंरचना तथा सह विकासकों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा एसईजेड में सह विकासकों के 5 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। यह भी नोट किया गया कि अनुमोदन बोर्ड मैसर्स एडीक्रॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा एसईजेड में अनुमोदित सह विकासक है, को होटल एवं हास्पिटल की स्थापना की अनुमति प्रदान कर चुका है। ऐसी सुविधाओं के लिए फिर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बैठक में आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित था। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैसर्स एडीक्रॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को होटल एवं हास्पिटल की स्थापना के लिए प्रदान किए गए पिछले अनुमोदन को निरस्त

किया जा सकता है तथा अब होटल उनके प्रस्तावित सह विकासक मैसर्स डी बी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाए। इसी तरह जो हॉस्पिटल मैसर्स एडीक्रॉप मुंद्रा एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाना था उसे अब मैसर्स स्टर्लिंग ऐडलाइफ मुंद्रा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएएमएचपीएल) द्वारा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। सह विकासक के रूप में मनोरंजन की अन्य सुविधाओं के साथ 120 कमरे वाले होटल के निर्माण के लिए मैसर्स अजुरे लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को भी विकासक द्वारा वापस ले लिया गया।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पैमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा।

इनके आधार पर मुंद्रा एसईजेड में सह विकासकों के प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(i) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अजुरे लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(ii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डी बी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में 0.8032 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड में 100 बेड वाले होटल की अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स डीबी हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा वेयर हाउसिंग की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने एमपीएसईजेड में पहले से मौजूद 9 प्रचालनरत सीएफएस की ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक अतिरिक्त सीएफएस के औचित्य की और जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि सीएफएस मुख्य रूप से डीटीए आयातकों / निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यह महसूस किया गया कि विलयित एसईजेड के लिए नई अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता की जांच की जा सकती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**(iv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (फेज 2) द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टर्लिंग ऐडलाइफ मुंद्रा हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएएमएचपीएल) का अनुरोध**

विकासक के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि अस्पताल के भवन का निर्माण हो चुका है। सह विकासक मैसर्स स्टर्लिंग ऐडलाइफ मुंद्रा हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएएमएचपीएल) अस्पताल के संचालन के लिए सुविधाएं तथा अनुरक्षण एवं अन्य आवश्यकताएं प्रदान करेगा। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रचालन एवं अनुरक्षण आधार पर एमपीएसईजेड में 100 बिस्तर वाले अस्पताल भवन में मरीजों को आईपीडी / ओपीडी सेवाएं प्रदान करने, विकसित करने, प्रचालित करने और अनुरक्षित करने के लिए सह विकासक के रूप में मैसर्स स्टर्लिंग ऐडलाइफ मुंद्रा हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड (एसएएमएचपीएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(v) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (फेज 2) द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कालरक्स एजुकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और कालरक्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन (सीईसी और सीईआरएफ) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12वीं कक्षा तक के स्कूल की स्थापना के लिए संयुक्त विकासकों के लिए मैसर्स कालरक्स एजुकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और कालरक्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(vi) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के 293.8810 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत वितरण, उत्पादन एवं पारेषण तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(vii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा गांव एवं तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के 2.14 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रेस्टोरेंट, बिजनेस सेंटर तथा अन्य अतिथि सहायता सुविधाओं के साथ सर्विस अपार्टमेंट / होटल के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 3 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

**(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

**1. कोलतुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 2) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि विकासक ने जैव प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, राज्य सरकार ने केवल जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तुर्कपल्ली गांव, कोलतुर गांव, शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सुंदरी थीम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**2. ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 33.5403 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 4) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम उल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में 33.5403 हेक्टेयर

के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**3. ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलंदशहर में 54.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 5) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 54.66 हेक्टेयर भूमि के लिए आवेदन किया है जबकि केवल 40.076 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलंदशहर में 54.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का के अनुरोध को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**4. प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 143, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आनंद इंफोएज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 6) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 143, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स आनंद इंफोएज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**5. इलेक्ट्रो मिनरल प्रभाग, कालमसेरी डवलपमेंट प्लॉट, एर्नाकुलम जिला, केरल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर फोटोवाल्टिक उद्योग द्वारा अपेक्षित विनिर्माण उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कारबोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 7) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि जिस सेक्टर के लिए आवेदन किया गया है वह सोलर पैनल के निर्माण के लिए है तथा एजेंडा में जो विवरण प्रदान किया गया है वह सोलर पैनल के लिए कंपोनेंट / इनग्रेडियंट के निर्माण के लिए है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इलेक्ट्रो मिनरल प्रभाग, कालमसेरी डवलपमेंट प्लॉट, एर्नाकुलम जिला, केरल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर फोटोवाल्टिक उद्योग द्वारा अपेक्षित विनिर्माण उत्पादों के लिए क्षेत्र

विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कारबोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**6. जिला पुणे, महाराष्ट्र में 14.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हीलियोस कंस्ट्रक्संस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 8) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जिला पुणे, महाराष्ट्र में 14.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हीलियोस कंस्ट्रक्संस प्राइवेट लिमिटेड प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**7. गुड़गांव, हरियाणा में 40.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में 40.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बेस्ट ऑन हेल्थ लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**8. ग्राम अगोल, तालुक कादी, जिला मेहसाना, गुजरात में 108.3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अक्षयपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने बैठक के दौरान प्रस्ताव पर अपनी मौखिक सिफारिश भी प्रदान की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अगोल, तालुक कादी, जिला मेहसाना, गुजरात में 108.3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अक्षयपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को गुजरात सरकार की लिखित सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही मंजूरी पत्र जारी करने के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**9. ग्राम कट्टूपल्ली, एन्नोर के पास, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.9497 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 4 - क्रमांक 1) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और ग्राम कट्टूपल्ली, एन्नोर के पास, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.9497 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

**(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

1. नागपुर, महाराष्ट्र में 109.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में 109.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक विद्युत क्षेत्र में डीटीए बिफ्री के लिए टैरिफ, सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क का रिफंड आदि के संबंध में मानदंडों, जिन्हें सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, का पालन करने का लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करेगा। विकासक स्टैंड अलोन विद्युत एसईजेड पर अंतिम दिशानिर्देशों का पालन करने का भी वचन देगा, जब भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे।

**(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :**

1. तालुक कुनाथुनाड, जिला एर्नाकुलम, केरल में 12.5840 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोपाक्स, केरल का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने समुक्ति की कि विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए भूमि दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं। अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह भी नोट किया गया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है उस पर प्रमोटर्स का कब्जा / स्वामित्व है। एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार, जिस भूमि पर एसईजेड का निर्माण करने का प्रस्ताव है वह विकासक कंपनी के नाम में होनी चाहिए। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम कापडेखुर्द, पोलापुर तालुक, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सिगरुन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने समुक्ति की कि चिह्नित भूमि बहुसेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि की तुलना में थोड़ी कम है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. ग्राम सांडे लवगान, जयगढ़ के पास, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र में 106.755 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स चौगुले पोर्ट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि जिस भूमि पर एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव है उस पर आवेदक विकासक का कब्जा / स्वामित्व नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम धनोरी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 10.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स स्काई जोन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि के स्वामित्व / कब्जा की स्थिति पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स टाइमलेस प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 3 - क्रमांक 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने मूलतः 10.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए आवेदन किया था और बाद में उन्होंने 592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहुसेवा एसईजेड के लिए आवेदन किया। राज्य सरकार की सिफारिश बहुसेवा एसईजेड के लिए प्राप्त हुई। 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि उन्होंने संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि आज भी वही स्थिति बनी हुई है और तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।



6. गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स उड़ान इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक कंपनी ने अभी तक भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वी सी इंफोसोफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक कंपनी ने अभी तक भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

8. अमृतसर, पंजाब में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स बुलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

9. छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 171 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुर्गीपालन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10. ग्राम अतीमारतु, डाकघर राजमपट्टी, पलानी तालुक, डिंडुकल जिला, तमिलनाडु में 171.99 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि खाद्य प्रसंस्करण सहित मुर्गीपालन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वीकेएस फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11. मनीदीप, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स दावत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

12. राजपुरा, अमृतसर, पंजाब में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स रघुनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज का अनुरोध

8 से 12 : अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ये प्रस्ताव ऐसे क्षेत्रफल में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए हैं जो क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम आवश्यकता से कम हैं। यह भी नोट किया गया कि जैव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है तथा एक खास स्थान में रखा जा रहा है इसलिए सन्निकटता की शर्त से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों ने प्रस्तावों की सिफारिश की है। इन मामलों में निर्णयों को आस्थगित करना तथा उन पर पुनः विचार करने से पूर्व समुचित जांच के बाद उपयुक्त

विनियम तैयार करना उपयुक्त समझा गया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावों को ऐसे समय तक आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. टिडेल 2, तारामणि, चेन्नई में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ इनफो पार्क डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड से एलीवेटेड रेल लाइन गुजर रही है जिससे सन्निकटता भंग हो रही है तथा एसईजेड दो भागों में बंट गया है। यह भी नोट किया गया कि जो भूमि एलीवेटेड रेल लाइन के नीचे है वह अभी तक विकासक को तमिलनाडु सरकार द्वारा हस्तांतरित नहीं की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि प्रस्ताव तभी अनुमोदित किया जा सकता है जब वह आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए न्यूनतम संस्पर्शी क्षेत्र की कसौटी को पूरा करेगा। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

15. ग्राम बेहरामपुर, जिला गुडगांव, हरियाणा में 10.074 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विनसम प्रापबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

16. ग्राम बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुडगांव, हरियाणा में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

17. सोनीपत, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चावल खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एलटी फूड्स लिमिटेड का अनुरोध

15. से 17. हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर अभी तक अपनी टिप्पणियां तैयार नहीं की हैं। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

18. पानीपत, घरौंदा, करनाल, हरियाणा में 10.522 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स नताशा हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 4 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा अब विकासक ने सेक्टर को बहु उत्पाद से हस्तशिल्प में परिवर्तित करके 10.522 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सैद्धांतिक अनुमोदन के औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने संशोधित प्रस्ताव पर अभी तक अपने दृष्टिकोण निर्धारित नहीं किए हैं। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**19. ग्राम शाहबाएज, तालुक अलीबाग, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 11.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेरीटास इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध (मद संख्या 4 - क्रमांक 3) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने बिक्री के लिए पंजीकृत करार का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है जो कब्जा / स्वामित्व स्थापित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है। तदनुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

#### **मद संख्या 5 : सह विकासकों के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

**(i) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि करार में एक वाणिज्यिक करार का उल्लेख किया गया है जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब वाणिज्यिक करार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) ग्राम कुंडलहल्ली, जिला बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमआरएस टेक पार्क का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कुंडलहल्ली, जिला बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना तथा सुविधाओं का विकास करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स एमआरएस टेक पार्क के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) ग्राम कुंडलहल्ली, जिला बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स श्री चनकेशव टेक पार्क का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कुंडलहल्ली, जिला बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एसआरआईपीएल) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में केवल आईटी / आईटीईएस संबद्ध सेवाओं के लिए निर्माण तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के लिए 4.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का विकास करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स श्री चनकेशव टेक पार्क के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) डीएलएफ सिटी, गुडगाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि गतिविधियां ऐसी हैं कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 6 (क) के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा यह किया जाना चाहिए और सह विकासक का दर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना होगा। तथापि, यदि यूनिट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हो तो वह अपने प्रचालनों के लिए उपभोज्य वस्तुओं एवं कच्चे माल के लिए पात्र नहीं होगी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(v) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया तथा निदेश दिया कि केवल वही प्रचालन कर छूट के लिए पात्र होंगे जो अधिसूचित एसईजेड के अंदर संचालित किए जाने हैं तथा एसईजेड से बाहर के क्षेत्र में संचालित कए जाने वाले प्रचालन किसी कर छूट के लिए पात्र नहीं होंगे। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कोचीन में विकसित किए जाने वाले पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के रूप में बीपीसीएल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) सिलोखेड़ा, डीएलएफ सिटी गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) सेक्टर 24 और 25 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) रामापुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) से (ix) : राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया था कि सह विकासक करार में विलेखों को अंतरित करने एवं सौंपने का उल्लेख है, जो यह कहता है कि सह विकासक विकास शुल्क के भुगतान पर एसईजेड भवनों का स्वामी होगा जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की भावना के विपरीत है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(x) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमटीबी एस्टेट्स एंड प्रापर्टीज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ऐसी अवसंरचना तथा सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स एमटीबी एस्टेट्स एंड प्रापर्टीज के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xi) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xii) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xiii) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित सह विकासक किसी अवसंरचना का विकास नहीं कर रहा है तथा संपूर्ण एसईजेड के लिए केवल अनुरक्षण एवं प्रचालन की सेवाएं प्रदान करेगा। सह विकासक के रूप में आने की बजाय आवेदक को यूनिट के रूप में आना चाहिए। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 6 : सह विकासक के पहले से अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में सह विकासक करार प्रस्तुत करना

(i) सिलोखेड़ा, गुडगाव, हरियाणा में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) रामापुरम, चेन्नई में इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि ये प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित हो गए हैं और काफी समय बीत जाने के बाद पिछले अनुमोदनों में संशोधनों को अब फाइल किया जा रहा है। यदि करारों में सारवान परिवर्तन किए जाते हैं तो नए अनुमोदन की मांग की जा सकती है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया और निर्णय लिया कि इन मामलों की फाइल पर जांच की जा सकती है।

#### मद संख्या 7: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तदनुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) मुलुंड और कोपरी, मुंबई में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीयस मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) |
|----------|--|--------------------------|
| 1.       | स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि | 800.00                   |
| 2.       | निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं                      | --                       |
| 3.       | कार्यालय स्थान   | 54,8137.00               |
| 4.       | मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)<br>(2200 कारों के लिए)                         | 4,40,000                 |
| 5.       | विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)  | कुल पावर - 100760        |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | केवीए<br>विविधता 85 प्रतिशत<br>- 85650 केवीए<br>बैकअप पावर -<br>85650 केवीए |
| 6.  | स्वीमिंग पूल   |   |
| 7.  | क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं                                       | 10,000.00   |
| 8.  | कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं |   |
| 9.  | पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र   |   |
| 10. | खेल का मैदान   |   |
| 11. | बस बे  |   |
| 12. | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस        | 12,040.00   |
| 13. | वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं   |   |

अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालनों का नाम  | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)                                    | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)  |
|----------|--|---|---|
| 1.       | स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि | 5,114.00  | 5,114.00  |
| 2.       | निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं                      | --  | --  |
| 3.       | मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) (10,000 कारों के लिए)                          | 20,000.00   | 20,00<br>(1,000 कारों के लिए)   |
| 4.       | विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)  | कुल पावर :<br>47,800 केवीए<br>85 प्रतिशत<br>विविधता -<br>40,600 केवीए | कुल पावर :<br>47,800 केवीए<br>85 प्रतिशत<br>विविधता -<br>40,600 केवीए |



|     |   | पावर बैकअप<br>21000 केवीए            | पावर बैकअप<br>21000 केवीए |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------|
| 5.  | एयर कंडिशनिंग   |                                      |                           |
| 6.  | स्वीमिंग पूल  |                                      |                           |
| 7.  | क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं                                | 11,255.00                            | 11,255.00                 |
| 8.  | कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि एटीएम, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं              |                                      | <b>एटीएम के लिए स्थान</b> |
| 9.  | शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस  | 21224.00                             | 21224.00                  |
| 10. | व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र   | 28044.00                             | अनुमोदित नहीं             |
| 11. | पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र  |                                      |                           |
| 12. | आवास  |                                      |                           |
|     | 1 बीएचके  | 70,000.00                            | 1120 यूनिट x 55 वर्गमीटर  |
|     | 2 बीएचके  | 94,080.00                            | 1120 यूनिट x 84 वर्गमीटर  |
|     | 2 बीएचके  | 85,680.00                            | 840 यूनिट x 102 वर्गमीटर  |
|     | 3 बीएचके  | 1,00,800.00<br>(840 यूनिट x 120)     | 250 यूनिट x 120 वर्गमीटर  |
|     | 4 बीएचके  | 88,200.00 (630 यूनिट x 140 वर्गमीटर) | 250 यूनिट x 140 वर्गमीटर  |
| 13. | सर्विस अपार्टमेंट   | 46480.00                             | 1120 x 41.5 वर्गमीटर      |
| 14. | खेल का मैदान  |                                      |                           |
| 15. | बस बे   |                                      |                           |
| 16. | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस | 6000.00                              | 6000.00                   |
| 17. | क्लीनिक एण्ड मेडिकल सेंटर   | 3,030.00                             | 3,030.00                  |
| 18. | वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं  |                                      |                           |
| 19. | प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल  | 11070.00                             | 6000 वर्गमीटर             |

(ii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स स्पेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधि                                   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)                        | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|--|---|--------------------------------|
| I.       | <b>रहने की सुविधाएं</b>                          | 41, 000 वर्गमीटर भूमि में 40,465 वर्गमीटर का भवन          |                                |
| क        | सर्विस अपार्टमेंट - 50                           |   | 50 यूनिट x 120 वर्गमीटर        |
| ख        | हॉस्टल रूम - 300                                 |   | 300 यूनिट x 20 वर्गमीटर        |
| ग        | अतिथि गृह - 20                                   |   | 20 यूनिट x 200 वर्गमीटर        |
| II.      | <b>स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं</b>              |   |                                |
| क        | 100 बिस्तर वाला अस्पताल                          |   | केवल 10 बिस्तर वाला अस्पताल    |
| III.     | <b>शिक्षा की सुविधाएं</b>                        |   |                                |
| क        | स्कूल, कॉलेज एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण            | 5000 वर्गमीटर (प्री प्राइमरी / प्राइमरी / सेकेंडरी स्कूल) |                                |
| IV.      | <b>मनोरंजन की सुविधाएं</b>                       |   |                                |
| क        | फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग एवं गेमिंग सेंटर | 1000 वर्गमीटर (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर)                    |                                |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने 100 बिस्तर वाले अस्पताल के स्थान पर 10 बिस्तर वाले अस्पताल को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने 1000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में मनोरंजन की सुविधाओं के लिए मंजूरी प्रदान की। इस श्रेणी में मल्टीप्लेक्स को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

(iii) प्लॉट नंबर 01, सेक्टर 140ए, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स सर्व मंगल रियल्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स उमंग नोएडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं.                          | अधिकृत गतिविधि                        | यूनिट      | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में)    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.                                | रेजीडेंशियल यूनिट्स                   | 60 यूनिटें | 120 वर्गमीटर प्रति यूनिट              | 60 यूनिट x 120 वर्गमीटर प्रति यूनिट  |
| 2.                                | सर्विस अपार्टमेंट                     | 70 यूनिटें | 100 वर्गमीटर प्रति यूनिट              | 140 यूनिट x 100 वर्गमीटर प्रति यूनिट |
| 3.                                | बजट होटल के रूम                       | 70 यूनिटें | 100 वर्गमीटर प्रति रूम                | <b>अनुमोदित नहीं</b>                 |
| <b>रिटेल सह वाणिज्यिक क्षेत्र</b> |                                       |            |                                       |                                      |
| (क)                               | हार्डवेयर और साफ्टवेयर वेंडर          | --         | 1,000 वर्गमीटर                        | 1,000 वर्गमीटर                       |
| (ख)                               | व्यावसायिक कार्यालय                   | --         | 2,000 वर्गमीटर                        | 2,000 वर्गमीटर                       |
| (ग)                               | वाणिज्यिक                             | --         | 6,000 वर्गमीटर                        | 6,000 वर्गमीटर                       |
| (घ)                               | रिटेल                                 | --         | 2,000 वर्गमीटर                        | 2,000 वर्गमीटर                       |
| <b>आवश्यक सुविधाएं</b>            |                                       |            |                                       |                                      |
| (क)                               | बैंकिंग सेवाओं तथा एटीएम के लिए स्थान | --         | 1,500 वर्गमीटर                        | 1,500 वर्गमीटर                       |
| (ख)                               | स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं          | --         | 1,500 वर्गमीटर                        | 1,500 वर्गमीटर                       |
| (ग)                               | ग्रॉसरी स्टोर                         | --         | 1,000 वर्गमीटर                        | 1,000 वर्गमीटर                       |
| (घ)                               | मनोरंजन की सुविधाएं                   | --         | 1,000 वर्गमीटर                        | 1,000 वर्गमीटर                       |
| (ड)                               | फूड कोर्ट एण्ड रेस्टोरेंट             | --         | 1,000 वर्गमीटर                        | 1,000 वर्गमीटर                       |
| (च)                               | सम्मेलन हाल                           | --         | 1,000 वर्गमीटर                        | 1,000 वर्गमीटर                       |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने बजट होटल रूम को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने इस श्रेणी में और 70 यूनिटें शामिल करके सर्विस अपार्टमेंट के संबंध में विकासक को मात्रा में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की।

(iv) प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

23 फरवरी, 2009 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां                       | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | वाणिज्यिक स्थान                         | 20,810                                | 20,810                            |
| 2.       | सर्विस अपार्टमेंट (लगभग<br>160 यूनिटें) | 18,417                                | 18,417                            |

उपर्युक्त 1 के विभिन्न संघटक यहां नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

- फूड कोर्ट
- कार्यालय स्थान
- रिटेल आउटलेट
- स्कूल

(v) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कार्ले टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां    | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | निर्मित कार्यालय भवन | 1,85,806                              | 1,85,806                          |

(vi) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कार्ले बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां                                 | क्षेत्र<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा                            |
|----------|---|---------------------------|--|
| 1.       | होटल  | 18,580                    | अनुमोदित नहीं                              |
| 2.       | मल्टीप्लेक्स के साथ<br>मनोरंजन क्षेत्र सहित रिटेल | 1,11,483                  | 25000 वर्गमीटर<br>(मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) |
| 3.       | वाणिज्यिक स्थान                                   | 37,161                    | 10,000 वर्गमीटर                            |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने होटल और मल्टीप्लेक्स को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया।

(vii) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज का प्रस्ताव अनुमोदित नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा ग्राम नगवारा, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित किए जाने वाले आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में के अधिकृत प्रचालनों लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(viii) वल्लानचेरी, चेन्नई, तमिलनाडु में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां | क्षेत्रफल /<br>यूओएम                   | क्षेत्रफल (वर्गमीटर<br>में) | अनुमोदित मात्रा |
|----------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 1.       | सर्विस अपार्टमेंट | प्रत्येक 50<br>वर्गमीटर के<br>200 कमरे | 10,000                      | 10,000          |

|    |                                |                                    |        |        |
|----|--------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 2. | आवासीय अपार्टमेंट              | प्रत्येक 110 वर्गमीटर के 820 फ्लैट | 90,200 | 90,200 |
| 3. | शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज | --                                 | 1,000  | 1,000  |

(ix) शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां  | क्षेत्र (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा                |
|----------|--|------------------------|--------------------------------|
| 1.       | हाउसिंग / आवासीय (प्रत्येक 160 वर्गमीटर की 1250 यूनिट)   | 2,00,000               | 2,00,000                       |
| 2.       | रिटेल स्पेस <ul style="list-style-type: none"> <li>• व्यवसाय केन्द्र</li> <li>• मल्टीप्लेक्स</li> <li>• रिटेल</li> <li>• क्लब, जिम आदि</li> <li>• बैंकवेट</li> <li>• फूड कोर्ट</li> <li>• वाणिज्यिक</li> <li>• रेस्टोरेंट / पब</li> <li>• मनोरंजन (पार्क आदि)</li> </ul> | 14608                  | 14608 (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने मल्टीप्लेक्स को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया।

(x) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन  | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | सुरक्षा चौकी - 10   | 150                                | 150                            |
| 2.       | साइट की परिधि के समानांतर पुलिस चौकी - 2                                    | 30                                 | 30                             |
| 3.       | मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)                   | 271814                             | 271814                         |
| 4.       | मनोरंजन की सुविधाएं   |                                    |                                |
| (क)      | क्लब हाउस - 1   | 500                                | 500                            |
| (ख)      | इंडोर गेम्स (बैडमिंटन कोर्ट) - 2  | 600                                | 600                            |
| (ग)      | इंडोर गेम्स (टेनिस कोर्ट) - 2   | 1000                               | 1000                           |
| (घ)      | जिम   | 600                                | 600                            |
| 5.       | कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं   |                                    |                                |
| (क)      | स्वचालित टेलर मशीन - 15   | 150                                | 150 (केवल एटीएम के लिए स्थान)  |
| (ख)      | क्रेच - 1   | 300                                | 300                            |
| (ग)      | चिकित्सा केंद्र - 1   | 300                                | 300                            |
| 6.       | शॉपिंग अर्काडे और रिटेल स्पेस - 1   | 600                                | 600                            |
| 7.       | व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र  | 300                                | 300                            |
| 8.       | वाईफाई तथा वाई मैक्स सेवा सहित इंटर कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र | 300                                | 300                            |
| 9.       | बस बे   | 1000                               | 1000                           |
| 10.      | कैफेटीरिया - 1  | 2500                               | 2500                           |
| 11.      | ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां   | 9407                               | 9407                           |
| 12.      | बैंक विस्तार काउंटर - 1   | 200                                | 200                            |

(xi) सेक्टर 30, सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xii) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अभिजीत एमएडीसी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन  | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | पावर बैकअप की सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट) की स्थापना | 25 मेगावाट (1.6 मेगावाट X 16)         | 25 मेगावाट (1.6 मेगावाट X 16)     |
| 2.       | डीजी सेट का प्रचालन एवं अनुरक्षण  | 62654 वर्गमीटर                        | 62654 वर्गमीटर                    |
| 3.       | विद्युत वितरण एवं पारेषण  | --                                    | केवल एसईजेड के भीतर               |
| 4.       | वितरण एवं पारेषण की सुविधाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण                            | --                                    | --                                |

(xiii) भोंगसी गांव, सोहना तहसील, जिलागुड़गांव, हरियाणा में क्षेत्र विशिष्ट आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत गतिविधियां                                     | क्षेत्रफल<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | हाउसिंग / आवासीय (प्रत्येक 125 वर्गमीटर की 650 यूनिट) | 80,000                      | 80,000                            |
| 2.       | व्यवसाय केन्द्र                                       | 5,000                       | 5,000                             |
| 3.       | रिटेल स्पेस   | 5,000                       | 5,000                             |
| 4.       | फूड कोर्ट एवं रेस्टोरेंट                              | 5000                        | 5000                              |
| 5.       | क्लब एवं जिम  | 2000                        | 2000                              |
| 6.       | वाणिज्यिक   | 2,000                       | 2,000                             |
| 7.       | मनोरंजन   | 3,500                       | 3,500                             |
| 8.       | स्कूल   | 3,357                       | 3,357                             |



(xiv) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीडीपीएल) का अनुरोध

(xv) सिलोखेड़ा, डीएलएफ सिटी गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीडीपीएल) का अनुरोध

(xvi) सेक्टर 24 और 25ए, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीडीपीएल) का अनुरोध

(xviii) रामापुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीडीपीएल) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि आंध्र प्रदेश; सिलोखेड़ा, हरियाणा; गुड़गांव, हरियाणा और तमिलनाडु में डीएलएफ ग्रुप द्वारा विकसित 4 आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीबीडीपीएल) के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए उपर्युक्त चार अनुरोधों को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xviii) तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | निर्मित कार्यालय भवन   | 1,95,095                           | 1,95,095                       |
| 2.       | मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं (बेसमेंट कार पार्क के अलावा) | 29,000                             | 29,000                         |

विचार  
र  
विमर्श  
के

बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)          |
|----------|--|------------------------------------|---|
| 1.       | होटल (300 कमरे) सहित इंटीग्रेटेड कंवेन्शन सेंटर (1500 सीटर)        | 28,126                             | अनुमोदित नहीं                           |
| 2.       | थिएटर तथा स्क्रीनिंग की सुविधाओं के साथ मनोरंजन क्षेत्र सहित रिटेल | 45,290                             | 25000 वर्गमीटर (मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) |
| 3.       | आवासीय / सर्विस अपार्टमेंट (कुल 400 यूनिटें)                       | 52,185                             | 52,185                                  |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि मनोरंजन क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स नहीं आना चाहिए।

(xix) ग्राम खराडी, मुल्शी तालुक, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एयान खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन       | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)     |
|----------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | हाउसिंग/ रेजिडेंशियल | 148960 (1330 यूनिट x 112 वर्गमीटर) | 148960 (1330 यूनिट x 112 वर्गमीटर) |

(xx) अरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | आईटी / आईटीईएस / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए कार्यालय स्थान  | 1,42,000                           | 1,42,000                       |
| 2.       | फूड स्टाल के साथ फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट आदि   | 5,000                              | 5,000                          |
| 3.       | स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिम आदि  | 1,000                              | 1,000                          |
| 4.       | यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिकल रूम, डीजी रूम, एसी प्लांट रूम, एएचयू, लिफ्ट, सीवेज शोधन संयंत्र, ठोस अपशिष्ट शोधन संयंत्र, जल शोधन संयंत्र, भूमिगत वाटर टैंक, आरओ प्लांट, स्टार्म वाटर पंप रूम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम रूम, सिक्योरिटी सिस्टम रूम, वर्षा जल संचयन आदि | 10,000                             | 10,000                         |
| 5.       | गार्ड हाउस / सिक्योरिटी रूम  | 500                                | 500                            |
| 6.       | प्रशासनिक अवसंरचना, कस्टम सुविधाएं आदि प्रदान करने के लिए एसईजेड कार्यालय  | 500                                | 500                            |
| 7.       | रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए दुकान, एटीएम, कंप्यूटर सेंटर, मोबाइल फोन शॉप, ट्रैवल डेस्क, ग्लोबल कंसीर्ज, कॉफी शॉप, स्नैक सेंटर, मसाज पार्लर, मेडिकल सेंटर, मेडिकल शॉप, पार्लर आदि जैसी सुविधाओं के लिए फुटकर स्थान  | 1,000                              | 1,000                          |
| 5.       | 2 व्हीलर, 4 व्हीलर तथा अन्य वाहनों की पार्किंग   | स्थानीय उप नियमों के अनुसार        | स्थानीय उप नियमों के अनुसार    |
|          | <b>कुल</b>   | <b>1,60,000</b>                    | <b>1,60,000</b>                |

अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन | यूनिट | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|----------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|
|----------|----------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|

|    |                   |                         |          |          |
|----|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1. | आवासीय अपार्टमेंट | 150 वर्गमीटर के<br>1067 | 1,60,000 | 1,60,000 |
|----|-------------------|-------------------------|----------|----------|

(xxi) ग्राम एडुर / एलावुर, गुमुडीपुंडी, चेन्नई, तमिलनाडु में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफलाइन का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन  | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1.       | रिसेप्शन, वेटिंग रूम तथा अन्य सुविधाओं सहित प्रशासनिक ब्लॉक | 5225                               | 5225                           |
| 2.       | सम्मेलन केंद्र  | 2100                               | 2100                           |
| 3.       | सेंट्रल स्टर्लाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट                     | 600                                | 600                            |
| 4.       | कैफेटेरिया  | 150                                | 150                            |
| 5.       | निस्सारी शोधन संयंत्र                                       | 200                                | 200                            |

अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन  | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | परिवार के साथ स्टाफ के लिए आवास तथा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग बैचलर आवास | 6150                               | 6150                           |
| 2.       | मेस   | 150                                | 150                            |
| 3.       | स्कूल   | 3000                               | 3000                           |
| 4.       | मनोरंजन केन्द्र / इंडोर स्टेडियम  | 200                                | 200                            |

(xxii) पेरुंगलातूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने बताया कि विकास आयुक्त द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में एटीएम लगाने के लिए प्रस्तावित एटीएम की संख्या की समीक्षा की जा सकती है तथा फिर कोई दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन                        | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | स्वचालित टेलर मशीन लगाने के लिए स्थान | 420                                | -                              |
| 2.       | वाई फाई और मैक्स सेवाएं               | 300                                | -                              |

(xxiii) मामिडीपल्ली गांव, सरोरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मंत्री टेक्नोलॉजी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (एमटीपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन  | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गफीट में) | अनुमोदित मात्रा    |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1.       | निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइन और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं | --                                | --                 |
| 2.       | प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कार्यालय स्थान   | --                                | --                 |
| 3.       | मल्टी लेवल कार पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल) तथा बस शेल्टर सहित पार्किंग           | 1.8 मिलियन वर्गफीट                | 1.8 मिलियन वर्गफीट |
| 4.       | उत्पादन को छोड़कर विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)                           | -                                 | -                  |
| 5.       | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, कैंटीन तथा कैटरिंग की अन्य सुविधाओं के लिए स्थान | 10,000                            | 10,000             |

|    |                        |       |       |
|----|------------------------|-------|-------|
| 6. | पुस्तकालय के लिए स्थान | 7,500 | 7,500 |
|----|------------------------|-------|-------|

(xxiv) बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इट्टिना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा                   |
|----------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | आवश्यक सेवाएं  |                                    |                                   |
| (क)      | बैंक / क्रेच / कनवेंशन सेंटर / हेल्थ क्लब / रिक्रिएशन क्लब | 10000                              | 10000                             |
| 2.       | सहायक सुविधाएं   |                                    |                                   |
| (क)      | शॉपिंग मॉल / मल्टीप्लेक्स / रेस्टोरेंट                     | 10000                              | 10000<br>(मल्टीप्लेक्स को छोड़कर) |
| 3.       | सर्विस अपार्टमेंट  | 50000                              | 50000                             |
| 4.       | आईटी / आईटीईएस इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर                      |                                    |                                   |
| (क)      | आईटी / आईटीईएस   | 280000                             | 280000                            |
| 5.       | इंजीनियरिंग सेवाएं :                                       | 56000                              | 56000                             |

**टिप्पणी :** अनुमोदन बोर्ड ने मल्टीप्लेक्स को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया। गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्विस अपार्टमेंट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई।

(xxv) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एयान हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)                          | अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)                              |
|----------|--|---|---|
| 1.       | सर्विस अपार्टमेंट / होटल                                 | 15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे) | 15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे) |
|          | सर्विस अपार्टमेंट में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी : |   |   |
| (क)      | स्वीमिंग पूल   | 150   | 150   |
| (ख)      | मनोरंजन क्लब   | 500   | 500   |
| (ग)      | जिम  | 150   | 150   |
| (घ)      | सम्मेलन हाल  | 500   | 500   |
| (ड)      | कार्यपालक व्यवसाय केन्द्र                                | 500   | 500   |
| (च)      | फूड कोर्ट  | 300   | 300   |

(xxvi) बहरामपुर गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त एसईजे अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xxvii) ओर्गाडम, श्रीपेरंबदूर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा ट्रेडिंग एवं लॉजिस्टिक्स प्रचालन सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सनमीना-एससीआई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसटीआईपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xxviii) बेलगाम, कर्नाटक में प्रिंसीजन इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और कैटरिंग की सुविधाएं (4) | 1000                                  | 1000                              |
| 2.       | प्रशिक्षण कक्ष / सम्मेलन हॉल / प्रेक्षागृह (4))                        | 2000                                  | 2000                              |

(xxix) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मामले पर विस्तृत प्रस्तुति देने के लिए विकासक कंपनी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xxx) कक्कानाड, एर्नाकुलम, केरल में इनफो पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन   | अनुरोध की गई मात्रा<br>(वर्गमीटर में) | अनुमोदित मात्रा<br>(वर्गमीटर में) |
|----------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.       | एयर कंडिशनिंग  | 68000                                 | 68000                             |
| 2.       | बैंक और एटीएम  | 330                                   | 330                               |
| 3.       | निर्मित कार्यालय   | 52890                                 | 52890                             |
| 4.       | बिजनेस और / कनवेंशन सेंटर -<br>इंस्टीट्यूशनल / कनवेंशन हॉल,<br>ट्रेनिंग सेंटर आदि, कनवेंशन एरिया | 1000                                  | 1000                              |
| 5.       | व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र  | 1000                                  | 1000                              |
| 6.       | बिजनेस / ट्रेनिंग सेंटर  | 1000                                  | 1000                              |



|     |  |             |             |
|-----|--|-------------|-------------|
| 7.  | कैंटीन   | 2000        | 2000        |
| 8.  | पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र   | 1000        | 1000        |
| 9.  | कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं | 100         | 100         |
| 10. | सुविधा प्रबंध कार्यालय / विकासक कार्यालय   | 150         | 150         |
| 11. | फूड कोर्ट  | 500 वर्गफीट | 500 वर्गफीट |
| 12. | कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस        | 500         | 500         |
| 13. | जिम / इंडोर सुविधा   | 500 वर्गफीट | 500 वर्गफीट |
| 14. | <b>हेलीपैड</b>   | 2000        |             |
| 15. | मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)  | 30400       | 30400       |
| 16. | विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)  | 7 एमडब्ल्यू | 7 एमडब्ल्यू |
| 17. | सुरक्षा कार्यालय   | 100         | 100         |
| 18. | वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं   | 100         | 100         |
| 19. | निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं                | --          | --          |
| 20. | शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस   | --          | --          |
| 21. | भवन प्रबंध प्रणाली   | --          | --          |

टिप्पणी : एटीएम के संबंध में केवल एटीएम के लिए स्थान (न कि एटीएम) अनुमत किया गया।

**मद संख्या 8 : क्षेत्र में परिवर्तन के लिए अनुरोध**

(i) सिपकाँट औद्योगिक परिसर, रानीपेट, तमिलनाडु में सेक्टर को लेदर से बदलकर इंजीनियरिंग माल करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सिपकाँट औद्योगिक परिसर, रानीपेट, तमिलनाडु में सेक्टर को लेदर से बदलकर इंजीनियरिंग माल करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में सेक्टर को आईटी / आईटीईएस से बदलकर आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर करने के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में सेक्टर को आईटी / आईटीईएस से बदलकर आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर करने के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 9 : नाम में परिवर्तन के अनुरोध**

(i) नाम बदलकर मैसर्स सोहना बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स इंटेल सिटी साफ्टवेयर पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) 2 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

(ii) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(iv) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जीयस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा लाइफस्पेस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(vi) 3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 7(i))

(vii) 2-3 साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (सारणी एजेंडा की मद संख्या 1)

(i) से (vii) : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासकों के उपर्युक्त अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले में एक साल के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक एक साल के बाद भौतिक प्रगति के ब्यौरों के साथ औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

**मद संख्या 11 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध**

(i) साचिन, सूरत, गुजरात में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स डायमंड एंड जेम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

बैठक में गुजरात सरकार का प्रतिनिधि उपस्थित था। उन्होंने अनुमोदन बोर्ड को अवगत कराया कि अधिसूचित एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूखंड जीआईडीसी का भूखंड है और विकासक को यथासमय अपेक्षित भूमि आवंटित की जाएगी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने साचिन, सूरत, गुजरात में उनके बहु उत्पाद एसईजेड में 50-07-08 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए मैसर्स डायमंड एंड जेम डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार को आवंटन की प्रक्रिया को गति देने का भी निदेश दिया।

(ii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में 4.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पहले से अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 4.36 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में 1.38 हेक्टेयर की कटौती के लिए भी इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र में विकासक द्वारा कोई कर लाभ / छूट प्राप्त नहीं की गई है। यदि कोई लाभ लिया गया है तो उन्हें वापस करना होगा। वृद्धि / कटौती के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.47 हेक्टेयर हो जाएगा।

**(iii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 2.0375 एकड़ (0.82 हेक्टेयर) की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(iv) साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 2.594 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.324 हेक्टेयर हो जाएगा, मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(v) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में 12.1407 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए, जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 22.3034 हेक्टेयर हो जाएगा, मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(vi) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से कुछ सर्वे नंबर को विमुक्त करने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त एसईजेड भूमि की सन्निकटता के संबंध में राज्य सरकार से समुचित पुष्टि के बाद एसईजेड अधिनियम 2006 के नियम 5 (3) के तहत अधिसूचित किया गया था। वर्तमान प्रस्ताव में गुजरात राज्य सरकार ने बताया है कि एक मौजूदा सड़क है और इसलिए उनके द्वारा चिह्नित क्षेत्रों को विमुक्त करना आसान होगा। अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि सबसे पहले गुजरात सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि क्या भूमि की सन्निकटता उपलब्ध है। 3 साल बीत जाने के बाद और गुजरात सरकार द्वारा इस बात का उल्लेख किए जाने के बाद कि एक मौजूदा सड़क है, विमुक्तीकरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि यह एसईजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली के नियम 5 (3) के तहत अधिसूचित किया गया जिसमें भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता निर्धारित की गई है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (2) के अनुबंध 2 के अनुसार इस विशेष मामले में भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता 38 हेक्टेयर है। यह इस बात का सुनिश्चय करने के लिए किया गया कि ये एसईजेड जिन्होंने भूमि की न्यूनतम आवश्यकता की कसौटी को पूरा नहीं किया, काम करते रहें। अतः इस मामले में भूमि में और कटौती उचित नहीं है। उचित होगा कि गुजरात सरकार इस मुद्दे पर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने मामले को गुजरात सरकार के पास वापस भेजने का निर्णय लिया। यदि गुजरात सरकार अपनी राय को दोहराती है तो मामले को निर्णय के लिए ईजीओएम के समक्ष रखना होगा।

**मद संख्या 12 : एक से अधिक एसईजेड के विलय के लिए अनुरोध**

**(i) ग्राम पोचरम, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में दो आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पोचरम, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में दो आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता बनाए रखने तथा संबंधित विकास आयुक्त से कब्जा / स्वामित्व, गैर भारग्रस्तता, सन्निकटता और रिक्तता पर रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन विलयित एसईजेड में 8.48 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल किए जाने के लिए भी मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे विलयित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 181.03 हेक्टेयर हो गया। विलय के बाद एसईजेड की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाएगी। 8 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 119.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन जिसके लिए 16 अगस्त 2007 को एलओए जारी किया गया, निरस्त समझा जाएगा।

**(ii) घाटा, बेहरामपुर और बलोला गांव, गुडगांव जिला, हरियाणा में दो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने घाटा, बेहरामपुर और बलोला गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में दो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

अनुमोदन बोर्ड ने सन्निकटता बने रहने की शर्त के अधीन विलयित एसईजेड में 10.24 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल किए जाने के लिए भी मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे विलयित एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 38.45 हेक्टेयर हो गया। विलय के बाद एसईजेड की संख्या 2 से घटकर 1 हो जाएगी।

### (iii) जोन के विस्तार के लिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सरकारी क्षेत्र है और प्रस्ताव मौजूदा जोन से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 150-180 एकड़ भूमि शामिल करके क्षेत्र के विस्तार के लिए है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए कोचीन एसईजेड का विस्तार करने की आवश्यकता है, इसलिए केरल सरकार भी केन्द्र सरकार के एसईजेड को भूमि आवंटित करने पर अनुकूल ढंग से विचार करेगी। तदनुसार, निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग फाइल पर मुद्दे की जांच करेगा, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा उपयुक्त निर्णय के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड को निर्णय की सूचना प्रदान करेगा। अनुमोदन बोर्ड को इस मामले में घटनाक्रमों की सूचना प्रदान की जाएगी।

**मद संख्या 13 : मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के संबंध में गतिविधियों / यूटिलिटीज का कार्योत्तर अनुमोदन**

पाया गया कि मंत्रालय विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड को यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में गतिविधियों की सूची पर विचार करने की सलाह दी है तथा नोट किया गया कि यूनिट अनुमोदन समिति गतिविधियों को मंजूरी प्रदान कर चुकी है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कार्योत्तर अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार न करने का निर्णय लिया क्योंकि यह यूनिट अनुमोदन समिति के कार्यक्षेत्र में आता है।

**मद संख्या 14 : विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड द्वारा एलओए के निरसन के विरुद्ध मैसर्स अंबे एक्सपोर्ट्स की अपील**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने गलत घोषणा तथा आयात के दस्तावेजों के दुरुपयोग के माध्यम से माल के गैर कानूनी आयात का सहारा लेकर जानबूझकर आयात के मानदंडों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, यूनिट ने जानबूझकर आयातक के नाम एवं पता से छेड़छाड़ की है और सीएफएस, पटपड़गंज के स्थान पर आईसीडी टीकेडी से उक्त माल का आयात किया जिसके लिए बिल ऑफ एंट्री का कर निर्धारण नहीं किया गया। इसके अलावा, यूनिट ने "टेलरिंग टेप" के स्थान पर "रबर टेप" के रूप में माल की गलत घोषणा की है। यूनिट ने प्लेट नंबर 19, एनएसईजेड में आयातित माल का भंडारण भी किया है जो यूनिट के कब्जे में नहीं है तथा उन्होंने बांड सह विधिक वचन पत्र की शर्त संख्या 3 और 13 का उल्लंघन किया है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इस मामले में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया।

**मद संख्या 15 : गियर बॉक्स की डिफेक्टिव यूनिटों की रिपेयर / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन के संबंध में विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हैनसेन ड्राइव्स लिमिटेड की अपील**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिट के निर्माण के लिए सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एसईजेड में यूनिट को एलओए जारी किया गया है। यह गतिविधि बहुत विशिष्ट गतिविधि है और मैसर्स हैनसेन ड्राइव्स ने सितंबर 2008 में अपने गियर बॉक्स यूनिट के लिए निर्माण का अपना प्रचालन आरंभ किया। वर्तमान प्रस्ताव में वे अपनी एसईजेड यूनिटों में दोषपूर्ण गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग करना चाहते हैं जिसके लिए वे अपनी एसईजेड यूनिट के अंदर एक अलग क्षेत्र निर्धारित करना चाहते हैं। फर्म ग्राहकों को मूल रूप से प्रस्तावित वारंटी अवधि के अंदर या उसके बाद गियर बॉक्स यूनिटों तथा हैनसेन ड्राइव्स, हैनसेन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल बेल्जियम, विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा मूलतः निर्मित तथा भारत में तीसरे पक्षों द्वारा निर्मित गियर बॉक्स की सर्विसिंग करेगी। चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था से लगाए जाने वाले शुल्क और उसके संग्रहण के संबंध में समस्याएं खड़ी होंगी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने केवल मैसर्स हैनसेन ड्राइव्स लिमिटेड द्वारा या उसकी मूल कंपनी द्वारा, न कि किसी अन्य तीसरे पक्ष - भारतीय या विदेशी द्वारा निर्मित मदों के संबंध में मरम्मत तथा रि-इंजीनियरिंग की गतिविधियों को शामिल करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी समुक्ति की कि सीधे आयातित और वापस निर्यातित गियर बॉक्स की रिपेयर / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग का प्रस्ताव विचार करने के लिए कठिन नहीं होगा परंतु डीटीए क्षेत्र से आने वाले गियर बॉक्स के संबंध में कस्टम तथा विकास आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक विनियमों का पालन किया जाता है। इसके अधीन अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 16 : होसुर, तमिलनाडु में एविएशन एसईजेड के अंदर अवसंरचना के रूप में एयरफील्ड / एयरस्ट्रिप को शामिल करने के लिए मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन इस शर्त के अधीन प्रदान किया गया है कि मौजूदा एयरस्ट्रिप / हैंगर को प्रस्तावित एसईजेड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड ने एविएशन एसईजेड के अंदर अवसंरचना के रूप में एयरफील्ड / एयरस्ट्रिप को शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यह अनुरोध सूचीबद्ध था तथा इस मुद्दे पर विकास आयुक्त, एमपीईजेड की रिपोर्ट प्राप्त करने के निदेश के साथ अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने बताया कि प्रस्तावित एसईजेड के लिए रनवे अनिवार्य आवश्यकता है। एमआरओ गतिविधियों के संचालन के लिए हैंगर तक बड़े एयरक्राफ्ट को पहुंचाने के लिए पूर्ण विकसित रनवे का होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में रनवे की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है जिसे मौजूदा पुराने रनवे को सुदृढ़ करके तैयार किया गया है तथा यह बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में रनवे को समर्थ बनाने के लिए किया गया है। संयुक्त विकास आयुक्त ने यह भी बताया कि इस समय लगभग 220 एकड़ भूमि पर विकासक का कब्जा है और इसमें से 80 प्रतिशत भूमि रनवे, एप्रन और एटीसी में चली गई है जो सांविधिक आवश्यकताओं के तहत शामिल हैं तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा एसईजेड एमआरओ की कोई गतिविधि शुरू करने में तभी समर्थ हो सकता है जब रनवे को भी एसईजेड के अंग के रूप में शामिल किया जाएगा। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि विचार के लिए मुख्य मुद्दा रिक्तता से संबंधित है। रनवे अस्तित्व में है तथा इसे एसईजेड के अंग के रूप में एकीकृत करने से वर्तमान एसईजेड नियमावली की दृष्टि से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अनुमोदन बोर्ड ने मुद्दे पर चर्चा की तथा राय यह थी कि रनवे सड़क के समतुल्य है जिसे संरचना में शामिल नहीं किया जाता है। अतः रिक्तता का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। हर हाल में यह नोट किया गया कि चूंकि मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एक समर्पित एविएशन एसईजेड है इसलिए रनवे को शामिल करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हैंगर तथा अन्य संरचना आदि को शामिल न करते हुए एसईजेड के अंग के रूप में मौजूदा रनवे को शामिल करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 17 : एयरोली नालेज पार्क, थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को निरस्त करना**

अनुमोदन बोर्ड ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर एयरोली नालेज पार्क, थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को निरस्त करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।



**मद संख्या 18 :** ग्राम वंजोरे, तिरुपट्टिनम कम्प्यून, जिला कराईकल, पांडिचेरी में 243.503 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पोर्ट आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निरूपण

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि वर्तमान प्रस्ताव पोर्ट आधारित एसईजेड के लिए नीति की घोषणा से पहले आया है। इस मामले में अभी तक सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्रदान नहीं किया गया है। विकासक अनुमोदन में परिवर्तन के लिए अनुरोध तभी कर सकता है जब उसके पिछले प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जाएगा। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर अपने निर्णय को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

### **पूरक एजेंडा**

**मद संख्या 1 :** विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकी और आस्थगित कर दिए गए।

**मद संख्या 2 :** सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) भोकरपाड़ा, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हीरानंदानी आईटी पनवेल एसईजेड कोडवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 3 :** क्षेत्र को परिवर्तित करने का अनुरोध

(i) विलायत, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में सेक्टर को तेल एवं गैस से बदलकर पेट्रोरसायन सहित हाइड्रोकार्बन करने के लिए मैसर्स गुजरात हाइड्रोकार्बन्स एंड पावर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सेक्टर में परिवर्तन के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | विकासक का नाम | लोकेशन | क्षेत्रफल | पिछला | अनुमोदित |
|----------|---------------|--------|-----------|-------|----------|
|----------|---------------|--------|-----------|-------|----------|

|   |  |  | (हेक्टेयर में) | सेक्टर      | सेक्टर   |
|---|--|--|----------------|-------------|--|
| क | गुजरात हाइड्रोकार्बस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड | विलायत औद्योगिक संपदा, जिला भरूच, गुजरात | 108            | तेल एवं गैस | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा                         |
| ख | गुजरात हाइड्रोकार्बस एंड पावर एसईजेड लिमिटेड | विलायत औद्योगिक संपदा, जिला भरूच, गुजरात | 140            | तेल एवं गैस | तेल एवं गैस जिसमें उसके डेरिवेटिव (पेट्रो रसायन) शामिल हैं |

**मद संख्या 4 :** एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (क) के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण, प्लास्टिक स्क्रेप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिट के एलओए की अवधि बढ़ाना

(i) मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड (पहले इसका नाम अनीता इंटरनेशनल था) जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओपी का नवीकरण

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केवल एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में अनीता इंटरनेशनल) जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 5 :** नाम बदलकर मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स टॉपनोच इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने इसे नोट किया।

**मद संख्या 6 :** अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) इच्छापुर, जिला सूरत, गुजरात में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क्स एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बोर्स का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

| क्र. सं. | अधिकृत प्रचालन                                     | अनुरोध की गई मात्रा | अनुमोदित मात्रा                           |
|----------|--|---------------------|---|
| 1.       | कस्टम हाउस बिल्डिंग (ग्राउंड फ्लोर प्लस तीन फ्लोर) | 955.83 वर्गमीटर     | प्रशासनिक कार्यालय के लिए 955.83 वर्गमीटर |

(ii) हुडी गांव, के आर पुरम, बंगलौर में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

\*\*\*\*\*